



अंकुश्री

पेयजल क्या है साधन और समस्या

पेयजल की समस्या को देखते हुए सन् 1977 में अर्जेन्टिना में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में 1981-90 को अंतर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया। उस फैसले के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ की विभिन्न एजेंसियों द्वारा सन् 1990 तक विकासशील देशों की 2 अरब जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे।

जल अपनी उपयोगिता के कारण जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। प्राचीन ऋषि-मुनियों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा जल के

महत्व को पारिभाषित किया गया है। एक तरफ पृथ्वी की पूरी सतह के करीब 70 प्रतिशत भाग में जल फैला हुआ है तो दूसरी तरफ मानव-शरीर के करीब 70 प्रतिशत भाग में जल की समाहित है। मानव-शरीर में जल की


उसके पास यमदूत को पहुंचना ही है।

शरीर में जल की कमी से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जल के अभाव में बच्चों व बड़ों में डी-हाइड्रेशन हो जाता है, जिसे समय पर गौर नहीं किए जाने पर बच्चे की मौत तक हो सकती है।

भोजन बनाना हो या भोजन करना, पेयजल की हर जगह आवश्यकता दिखायी देती है। गर्भी की तपती हुई दुपहरी हो या जाड़े की कड़कदार ठंड, प्यास हमें हर मौसम में सताती है और उसे दूर करने के लिए पेयजल की आवश्यकता होती है। भोजन के लिए किसी विशेष पदार्थ या पीने के लिये किसी विशेष पेय पदार्थ की, किसी क्षेत्र विशेष में भले समान रूप से आवश्यकता नहीं हो। लेकिन पेयजल की आवश्यकता हर क्षेत्र में समान है, भले ही उसकी मात्रा भिन्न हो सकती है।

गर्भी के दिन आए नहीं कि यात्रियों के पीने के लिए पनश्ताला की व्यवस्था, शहरों में सड़क किनारे, जगह-जगह सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा पेयजल की व्यवस्था, गांवों में भी सार्वजनिक कुओं की व्यवस्था, रेल में चल रहे यात्रियों की

10 प्रतिशत कमी हो जाने पर हालत विंतनीय हो जाती है। मानव शरीर में यदि 20 प्रतिशत जल की कमी हो जाए तब तो मौत का पैगाम लिए हुए



जल संकट से जुझती महिलाएं भीलों दूर से पानी लाने के लिए मजबूर

पेयजल



कई क्षेत्रों में प्रदूषित जल इस्तेमाल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

प्यास बुझाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की व्यवस्था, सड़कों पर चलने वाले स्वारियों के लिए रास्ते में उनके ठहराव की जगह पेयजल की व्यवस्था, परीक्षा भवनों में परीक्षार्थियों के लिए पानी की व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। अतः उपरोक्त साधन हमें विशेष रूप से उपलब्ध कराने होंगे। अन्य सुविधाएं चाहे हों या नहीं, मगर उन्हें पानी पिलाने के लिए पानी जरूर रखे जाते हैं।

विकासशील देशों के गांवों में करीब 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिन्हें शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1975 की सूचनानुसार शुद्ध और स्वच्छ पेयजल की सर्वाधिक कमी दक्षिण अफ्रीका में है। पश्चिम एशिया के विकासशील देशों की 38 प्रतिशत जनसंख्या शुद्ध और स्वच्छ जल के लिए तरसती है।

उपलब्ध साधन

ऐसी बात नहीं है कि जिन क्षेत्रों में पेयजल सर्वसुलभ नहीं है, उन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध तो है लेकिन इस रूप में कि उसे सुगमता से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं,



घरों से निकलने वाले कूड़े-करकट से प्रदूषित होते पेयजल

जहां जलस्रोत उपलब्ध तो है लेकिन वह जमीन के बहुत अंदर गहराई में पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जल के स्रोत हैं ही नहीं। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को काफी दूर से पेयजल लाना पड़ता है।

पेयजल के उपलब्ध साधनों को मुख्यतः तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है - भूमिगत जल, रुका हुआ जल और बहता हुआ जल।

कुआं खोद कर भूमिगत

जल स्रोत को उपयोग में लाना पेयजल का एक सर्वव्यापी साधन है। पेयजल की व्यवस्था के लिए धरती की खुदाई कर तालाब विकसित करना भी एक मुख्य साधन है। कुएं द्वारा केवल भूमिगत जलस्रोत का उपयोग होता है, लेकिन तालाब में भूमिगत जल के अलावा बाहरी पानी का भी जमाव हो जाता है। यह बाहरी जल वर्षा का जल हो सकता है और बाढ़ या नदी का बरसाती पानी भी।

गए जल की पाइप लाइनों द्वारा आपूर्ति करना और तालाब से जल प्राप्त करना-रुके हुए जल के उपयोग के उदाहरण हैं। बड़े-बड़े तालाबों में रुके हुए जल के अलावा भूमिगत जल भी काम में आता है।

नदी-नाले बहते हुए जल के उदाहरण हैं। बहते हुए नदी-नालों का जल पीने के काम में लाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में पथरीले नालों में बह रहे पानी को इकट्ठा करने

गांव में भूमिगत जलस्रोत के उपयोग का मुख्य तरीका है कुएं की खुदाई या नलकूपों का लगाना। नलकूप द्वारा भूमिगत जलस्रोत से पेय जल प्राप्त करना सर्वाधिक उपयोगी और सर्वसुलभ साधन है। देश भर में सरकारी या गैर सरकारी नलकूप लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं।

बड़े-बड़े शहरों में पेयजल की आपूर्ति जल मीनारों से पाइप लाइनों द्वारा की जाती है। जल मीनारों में जल एकत्रित करने के लिए भूमिगत जल का ही मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। संचित जल की भी पाइप लाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। इस काम के लिए बड़े-बड़े बांध बनाए जाते हैं। नदियों को बांध कर भी पाइप लाइनों द्वारा उसके जल की आपूर्ति की जाती है।

बांध बना कर संचित किए

के लिए छोटा-सा गड्ढा बना कर उसे पत्थरों से बांध दिया जाता है, जिसे चुआं कहते हैं।

जल की समस्या

हमारे देश में भी सभी गांवों और समूचे शहरों में पेयजल सुलभता से उपलब्ध नहीं है। अनेक ऐसे गांव हैं, जहां पेयजल काफी दूर से लाना पड़ता है। बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं, जहां उपलब्ध जल पीने के काम में नहीं लाया जा सकता। जिन शहरों में पेयजल की व्यवस्था है, वहां भी अनेक कारणों से लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिल पाता। इसका मुख्य कारण है बिजली का अभाव। पाइप लाइनों द्वारा जलापूर्ति की सारी व्यवस्था प्रायः बिजली पर ही आश्रित रहती है। इसलिए शहरों में पेयजल की इस समस्या को दूर करने के लिए बिजली-आपूर्ति की व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है।

प्रदूषित जल

कुछ ऐसी भी जगहें हैं, जहां प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। लेकिन वह प्रदूषित है और इस कारण उसे पीने के काम में नहीं लाया जा सकता। जल के प्रदूषण की समस्या एक जटिल समस्या है। बड़े-बड़े कल-कारखाने नदी किनारे ही बनाए जाते हैं। उन कल-कारखानों का कचरा नदियों में बहाया जाता है। इससे नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। प्रायः हर शहर की गंदगी नालों के जरिए नदियों में बहायी जाती है। इससे भी नदी का जल गंदा हो जाता है और वह पीने योग्य नहीं रह पाता है।

बरसात में भू-क्षरण होता है, जिससे नदियों का जल गंदा हो जाता है। भू-क्षरण के कारण नदियों की तलहटी में मिट्टी का जमाव बढ़ता जाता है और उसकी जलधारक शक्ति कम हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि गर्मी के दिनों में नदियों में जल की कमी हो जाती है। अतः भू-क्षरण को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए बेकार की खाली पड़ी जमीन

को बनाऊदित करना आवश्यक है।

सरकारी कार्यक्रम

पेयजल की समस्या को देखते हुए सन् 1977 में अर्जेन्टिना में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में 1981-90 को अंतर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया। उस फैसले के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ की विभिन्न एजेंसियों द्वारा सन् 1990 तक विकासशील देशों की 2 अरब जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम से संवर्धित प्रस्ताव पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे।

भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन इसको कोई प्राथमिकता नहीं मिल पायी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में श्रमदान द्वारा किए जाने वाले सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में पेयजल की आपूर्ति भी शामिल थी। लेकिन इस ओर विशेष कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना में ही किए जा सके। पांतु चौथी पंचवर्षीय योजना में पेय जल आपूर्ति के लिए उर्ही क्षेत्रों को चुना जा सका था, जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों की बहुलता थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पेयजल आपूर्ति को गांव की न्यूनतम आवश्यकताओं में शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम के तहत उन गांवों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं, जहां पेयजल का सदा अभाव बना रहता है या जहां शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है।

पेयजल की समस्या को देखते हुए उसे बीस सूत्री कार्यक्रम का एक अंग बनाया गया। भूमिगत और सतह-जल के संपूर्ण उपयोग पर बल दिया गया। साथ ही बनरोपण, भू-क्षरण रोकने एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों को भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।

जल है बहुत महान

जीवन नहीं
होय चाहे धन हजार
हर बूँद दामी है
खूब करो इससे प्यार।

मानव की क्या बात
जानवर भी छतपटाएं
थोड़ी देर होते
जस प्राण नहीं बच पाए।

जल बिना जल जाए
बड़ी दुनिया यह सारी
दाम नहीं दे सकते
कीमत बहुत है भारी।

पर्यावरण हितैषी
जल हमको बचाना है
खुशी बच पाएगी
पीड़ी भी रचाना है।

गर्मी में सूखता
बहुत पानी का सोता
वर्षा का जल आकर
उत्साह सभी का निर्बल।

अब बाद न जल मिले
तो मिट जाए सब शान
भोजन या हो स्नान
सबतर जल का गुणगान।

जल न हो धरती पर
आ जाएगा जल-जला
इसी से जीवन का
बना हुआ है सिलसिला।

जल जहां नहीं पहुंचे
वह थल-थार हो जाए
हरियाली ना बचे
सभी बंजर हो जाए।

संपर्क करें :
अंकुशी
सिद्धौल, प्रेस कॉलोनी, पोस्ट बॉक्स 28,
नामकुम, रांची - 834 010 (झारखंड)

